राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7463/2017

संदीप स्टॉक्स प्रा. लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय ए-40 ए, बजाज नगर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के सामने, एए-5, अनीता कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर-302015

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सहायक आयकर आयुक्त, सर्किल-6, जयपुर
2. उपायुक्त आयकर, सेंट्रल सर्किल-4, जयपुर

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रकुल खुराना
श्री रजत शर्मा
श्री अक्षय शर्मा वास्ते
श्री संजय झांवर, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की ओर से : श्री संदीप पाठक साथ में
श्री अक्षय शर्मा

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान अवनीश झिंगन

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान प्रमिल कुमार माथुर

आदेश

12/02/2025

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 148 के तहत जारी नोटिस दिनांक 27.09.2016 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

---

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए 15,43,31,590/- रुपये की कुल आय घोषित करते हुए विवरणियां (रिटर्न) दायर कीं। आक्षेपित नोटिस जारी करके अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू की गई। याचिकाकर्ता द्वारा 02.02.2017 को दायर आपत्तियों को आदेश दिनांक 17.02.2017 द्वारा निस्तारित किया गया।

3. शिकायत यह उठाई गई है कि याचिकाकर्ता ने विभाग द्वारा भरोसा की गई सामग्री की मांग की थी, लेकिन न तो आवश्यक कार्यवाही की गई और न ही इस आपत्ति का निस्तारण किया गया।

4. **जी.के.एन. ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी व अन्य, 259 आई.टी.आर. पृष्ठ 19** के संप्रकाशनीय मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में विवरणी दाखिल करने के बाद निर्धारिती को पुनः खोलने के कारण प्रदान किए जाएंगे, जिन पर आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। निर्धारण अधिकारी एक सकारण आदेश पारित करके आपत्तियों का निर्णय करने के लिए बाध्य था।

5. इस न्यायालय की खंडपीठ ने **माइक्रो मार्बल्स प्रा. लिमिटेड बनाम कार्यालय, आयकर अधिकारी, (2023) 457 आई.टी.आर. 569** के संप्रकाशनीय मामले में, माना कि संदर्भित सामग्री और "विश्वास करने के कारण" निर्धारिती को प्रदान किए जाने चाहिए। आदेश का प्रवर्तन योग्य भाग नीचे उद्धृत है:-

"13. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, हमारी राय है कि उन सभी अन्य तकनीकी पहलुओं को छोड़कर जो हमारे समक्ष उठाए गए हों, यह तथ्य कि

"विश्वास करने के कारणों" में संदर्भित सामग्री याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी, निर्धारण को पुनः खोलने और परिणामी निर्धारण की ओर ले जाने वाली पूरी कार्यवाही कानूनन दूषित हो जाती है।"

6. आदेश दिनांक 17.02.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न तो मांगी गई सामग्री याचिकाकर्ता को प्रदान की गई और न ही सामग्री की मांग करने वाली आपत्ति का निस्तारण किया गया। नतीजतन, आदेश दिनांक 17.02.2017 को अपास्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। मामले को प्रतिवादी संख्या 2 को कानून के अनुसार आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए वापस प्रेषित किया जाता है, जिसमें **जी.के.एन. ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और **माइक्रो मार्बल्स प्रा. लिमिटेड** (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय करे।

7. आगे की देरी और जटिलताओं से बचने के लिए, याचिकाकर्ता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में 12.03.2025 को सुबह 11:00 बजे उपस्थित हों।

(प्रमिल कुमार माथुर), **J** (अवनीश झिंगन), **J**

मोनिका/59

क्या संप्रकाशनीय है: **हाँ**

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकरिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"